

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जून 2013—आषाढ़ 6, शक 1935

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

क्र. डी-15-28-2006-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 जुलाई 2008 में कृषि उपज मण्डी समिति, इंदौर के मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज “फूल” पर उक्त अधिनियम के अधीन मण्डी फीस भुगतान से दी गई छूट को विखण्डित करती है।

कृषि उपज मण्डी समिति इंदौर के मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज “फूल” पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मण्डी फीस अधिरोपित की जाती है।

यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

क्र. डी-15-28-2006-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 27 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव।

Bhopal, the 27th June 2013

No. D-15-28-2006-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby rescinds this departments notification of even number, dated 17th July 2008, whereby exemption, from the payment of the market fees on the notified Agricultural Produce "Flower" in the market area of Agricultural Produce Market Committee, Indore, was allowed.

Further, under sub-section (1) of Section 19 of the said Act, market fee at the rate of two rupees for every one hundred rupees of the price of notified Agricultural Produce "Flower" is hereby imposed in the market area of Agricultural Produce Market Committee, Indore.

This notification shall come in force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.